



प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय
सीमाशुल्क मुंबई जोन II , जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड, महाराष्ट्र - 400707

फ़ा सं: एस/5 सामान्य-02/2010 हिन्दी
22.07. 2016

दिनांक

प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा,
जिला रायगड में दिनांक 28.06.2016 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का
कार्यवृत्त

प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) का कार्यालय, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन, न्हावा शेवा की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 28.06.2016 को सायंकाल 5.15 बजे सम्मेलन कक्ष में श्री सुभाष अग्रवाल, आयुक्त (एनएस IV) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित माननीय सदस्य उपस्थित थे।

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम
1	डी के श्रीनिवास	सीमाशुल्क आयुक्त, एन एस I & III
2	विजय सिंह चौहान	सीमाशुल्क आयुक्त, एन एस V
3	डॉ आशिर त्यागी	अपर सीमाशुल्क आयुक्त
4	अखिलेश पाण्डेय	अपर सीमाशुल्क आयुक्त
5	निखिल मेश्राम	अपर सीमाशुल्क आयुक्त
6	असीम कुमार	अपर सीमाशुल्क आयुक्त
7	राहुल रमेश नांगरे	अपर सीमाशुल्क आयुक्त
8	प्रीति चौधरी	संयुक्त सीमाशुल्क आयुक्त
9	बी एस मंगट	उप सीमाशुल्क आयुक्त
10	महिपाल सिंह	उप सीमाशुल्क आयुक्त
11	एन जी साबले	सहा सीमाशुल्क आयुक्त
12	आर एम गांग्रेरेड्डीवार	सहा सीमाशुल्क आयुक्त
13	एम के नायर	सहा सीमाशुल्क आयुक्त
14	शिशिर कुमार पाण्डेय	कार्यकारी सहायक
15	रूपेश एस सक्सेना	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक एवं संचालक सदस्य

बैठक में स्वागत की गई।

समिति के सदस्यों के उपरांत कार्रवाई आरंभ

पिछली

लिए गए विभिन्न निर्णयों की अनुपालन स्थिति

बैठक (20.01.2016) में

बैठक के संचालक सदस्य ने बिंदुवत रूप से पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन स्थिति का ब्योरा प्रस्तुत किया।

1) जे एन सी एच, न्हावा शेवा की हिन्दी गृह पत्रिका "शेवा कृति" का प्रथम अंक का विमोचन एवं वितरण किया गया।

2) "शेवा कृति" ई प्रारूप में जे एन सी एच, न्हावा शेवा की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दी गई है।

3) राजभाषा गतिविधियों को निर्बाध जारी रखने के लिए अलग से राजभाषा निधि की मंजूरी प्रदान की गई।

4) हिन्दी अनुभाग में लिपिकीय सहायता हेतु कार्यकारी सहायक की नियुक्ति की गई।

5) जेएनसीएच में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त, हिन्दी पुस्तकों की सूची भी वेबसाइट में उपलब्ध करा दी गई है।

6) नव नियुक्त कर सहायकों के लिए संघ की 'राजभाषा नीति से परिचय एवं टिप्पण एवं आलेखन' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णय

1) अनुभागों में रजिस्टर के अनुरक्षण के मुद्दे पर बैठक को सूचित किया गया कि जे.एन.सी.एच., न्हावा शेवा के बहुत से अनुभागों में सम्प्रेषण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है जिसमें अनुभाग विशेष द्वारा जारी किए जा रहे सभी पत्रों, आदेशों, परिपत्रों या अन्य कागजातों का ब्योरा दिया जाता है। इससे प्रत्येक तिमाही में तैयार की जाने वाली हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरने में असुविधा होती है और उक्त अनुभाग उसका प्रेषण हिन्दी अनुभाग में नहीं करते जिससे जे एन सी एच, न्हावा शेवा की अपूर्ण समेकित रिपोर्ट बनती है। अध्यक्ष महोदय सहित सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की और उन्होंने सभी अनुभागों में आने वाले कागजातों के साथ साथ जारी किए जाने वाले कागजातों की जानकारी/प्रविष्टि एक रजिस्टर में अनुरक्षित करने के निर्देश दिये।

(कार्रवाई- सभी अनुभाग)

-2-

2) नेमी पत्रों, नेमी (Routine) आदेशों, आवरण पत्रों के द्विभाषीकरण के मुद्दे पर संचालक सदस्य ने बैठक को सूचित किया गया कि महत्वपूर्ण अनुभागों में नेमी (Routine) आदेशों का द्विभाषी स्वरूप एवं उनके कम्प्युटर पर हिन्दी टंकण की सुविधा प्रदान कर दी गई है, किन्तु अनुभाग उन प्रोफॉर्मा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने अनुभागों को द्विभाषी प्रारूप प्रयोग करने के लिए पुनः निर्देश देने का आदेश दिया। बैठक में सदस्यों ने सार्वजनिक सूचनाओं के द्विभाषीकरण पर विशेष ज़ोर देने का निर्देश हिन्दी अनुभाग को दिया।

(कार्रवाई- सभी अनुभाग)

3) प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्य शतप्रतिशत हिन्दी में करने के संबंध में अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि जेएनसीएच, न्हावा शेवा एक अधिसूचित कार्यालय है और हिन्दी अनुभाग कर्मचारियों का राजभाषा रोस्टर तैयार कर रहा है जिससे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की पहचान हो रही है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सहमति व्यक्त करते हुए राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत प्रवीण कर्मचारियों को अपना शतप्रतिशत काम हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट करने के निर्देश दिये।

(कार्रवाई- हिन्दी अनुभाग)

4) बैठक में जे एन सी एच, न्हावा शेवा में फाइलों पर हिन्दी टिप्पणियों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। संचालक सदस्य ने बैठक को सूचित किया कि पिछले तिमाही में हिन्दी में

टिप्पणियों का प्रतिशत बहुत कम था और इस विषय पर ध्यान दिये जाने की आवश्यक है । इस पर समिति की ओर से नेमी हिन्दी टिप्पणियों की ज्यादा पहचान करने के लिए लेखा वेतन बिल अनुभाग एवं कार्मिक एवं स्थापना में ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया । एलटीसी, जी पी एफ, स्थानांतरण, छुट्टी के लिए आवेदन जैसी फाइलों में टिप्पणियों की पहचान करके उनको हिन्दी में लिखने पर टिप्पणियों की वर्तमान स्थिति पर सुधार किए जाने का निर्देश हिन्दी अनुभाग को दिया गया ।

(कार्रवाई- हिन्दी अनुभाग)

)

5) राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैठक संचालक ने 'आज का शब्द / आज का विचार' लिखने के लिए प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगवाने की अनुमति मांगी जिसमें हिन्दी में आज के विचार के साथ साथ आयुक्तालाओं के विभिन्न अनुभागों द्वारा प्रयोग किए जा रहे तकनीकी, प्रशासनिक, मौद्रिक शब्दावलियों को हिन्दी में प्रदर्शित किया जाएगा । अध्यक्ष महोदय ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की ।

(कार्रवाई- हिन्दी अनुभाग, सीएचएस अनुभाग)

6) बैठक में कार्यसूची के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से अन्य सुझाव भी मांगे । सदस्यों ने हिन्दी अनुभाग द्वारा खरीदी जाने वाली पुस्तकों हेतु पाठकों से अपनी पसंद के विषय एवं लेखक विशेष की पुस्तकें खरीदने का अनुरोध किया । इस पर अध्यक्ष महोदय ने शीघ्र ही पाठकों की पसंद की पुस्तकों की खरीद सुनिश्चित करने हेतु संचालक सदस्य को निर्देश दिया । हिन्दी अनुभाग शीघ्र ही इस आशय का परिपत्र जारी करेगा । एक अन्य सुझाव के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया कि आगे से राजभाषा बैठक की कार्यसूची में हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएँ ताकि पिछली तिमाही से उनकी तुलना की जा सके ।

अंत में अध्यक्ष तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये बैठक सायंकाल 5.50 बजे समाप्त हुई ।

आयुक्त

(प्रीति चौधरी)
संयुक्त सीमाशुल्क